भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 113**

उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
31 आषाढ़, 1946 (शक)

# भारत में ई-स्पोर्ट्स

**113. श्री बैन्नी बेहनन:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ई-स्पोर्ट्स को औपचारिक रूप देने और भारत में ई-एथलीटों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ई-स्पोर्ट्स विशिष्ट विनियामक निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारत में ई-स्पोर्ट्स के प्रबंधन और नियंत्रण के संबंध में कोई नीति या दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) और (ख): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पास ई-स्पोर्ट्स को औपचारिक रूप देने के लिए ई-स्पोर्ट्स विशिष्ट विनियामक निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): भारत में ई-स्पोर्ट के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए कोई विशेष नीति या दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं। सरकार खेलों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को मान्यता देती है। एनएसएफ को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार ने भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (खेल संहिता) में मानदंड निर्धारित किए हैं। खेल संहिता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in पर उपलब्ध है।

****